

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Date: 05.09.2025

BSE Scrip Code: 540358

Subject: Intimation of Newspaper Advertisement regarding Notice of 31st Annual General Meeting of the Company

Ref: Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulation”)

Dear Sir/Mam

We submit herewith the copies of newspaper advertisement published by the Company in all India edition of Business Standard [English Newspaper] and in Rajasthan Edition of Business Standard [Hindi Newspaper] on September 5, 2025 regarding notice of the 31st Annual General Meeting(AGM) of the company to be held on Friday, September 26,2025 at 12:00 P.M through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), record date and e-voting information, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations.

This will also be hosted on the website of the company at www.rmcindia.in

You are requested to take the above on records.

Thanking You,

Yours Faithfully
For RMC Switchgears Limited

Digitally signed by SHIVANI BAIRATHI
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=302019, st=Rajasthan,
serialNumber=EC6499C3B2C9CF97B45390E540066442AA7
8A11540E4879BF7125711E8E9A7A2, cn=SHIVANI BAIRATHI
Date: 2025.09.05 10:07:13 +05'30'

Shivani Bairathi
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 42636

CIN : L25111RJ1994PLC008698

Corp. Office : B-11 (B&C), Malviya Industrial Area, Jaipur-302017 (Rajasthan)

 **Regd. Office & Factory :** Khasra No.-163,164, Village-Badodiya ,Tehsil-Kotkhawda, Kotkhawada, Jaipur,
Jaipur, Rajasthan, India, 303908



IFCI
LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(माला भारत का अंग)



आपको देखने में आये

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर
6 नैहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
टेलीफोन: 011-41732000
वेबसाइट: www.ifcilt.com
CIN: L74899DL1993GOI053677

बॉन्डधारकों को सूचना - अवैतनिक/अदाकार राशि

आईएफसीआई बॉन्डधारकों (इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, अधीनस्थ बॉन्ड और एनसीडी) को सूचित किया जाता है कि वे आईएफसीआई लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.ifcilt.com पर जाकर अपने अवैतनिक या दावा न किए गए मोमेंट और ब्याज राशि की स्थिति की जांच कर सकते हैं। निवेशक संबंध – बॉन्डधारक जा ही है कि वे अपनी क गई राशि पर जाएं।

बॉन्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवरणों का सत्यापन करें और बकाया राशि के समय पर प्रकरण के लिए संबंधित राशिधर और ट्रांसफर एजेंट (आरटीई) या सीसीआईएफसीआई की ओर से अद्यतन केवाईडी दस्तावेजों जमा करें।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 5 सितंबर, 2025

हस्ता/
उप महाप्रबंधक (संसाधन)

सांख्यिक सूचना

मैं, सितारा अंसारी पत्नी इरशदा अंसारी,
निवासी एस-221/21, गली नंबर 1,
विष्णु गार्डन, पोस्ट: तिलक नगर,
दिल्ली-110018, एतद्वारा घोषणा करती
हूँ कि मेरी नाबालिग बेटी शिफा नाज
अंसारी को स्कूल रिकॉर्ड में मेरी पति का
नाम गलती से इरशदा लिख दिया गया
है। मेरे पति का वास्तविक नाम इरशद
अंसारी है। जिसे तदनुराग संशोधित
किया जाए।

[illegible]

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT my client intend to purchase entire Ground floor and Basement of property No. C-589, Defence Colony, New Delhi-110024 built over plot admeasuring 325 Sq.Yards with all rights underneath and above, from its current owner Mrs. Savita Kharbanda D/o Late Col. S.S. Nayar and Devki R/o C-589, Defence Colony, New Delhi-110024.

Any entity/ person having or claiming any right, title, claim, benefit, demand or interest etc. with respect to the said property or having any objection to the same should inform undersigned at the address mentioned herein below in writing within a period of 7 (Seven) days from the date of publication of this Notice failing which it shall be presumed that no adverse right, title, interest, share, claim or demand of any nature whatsoever exists in or upon or in respect of the said property.

Sd/-
R.K. Gogia
Advocate

Flat No. 161, the Batukji CGHS Ltd.
Sector-3, Dwarka, New Delhi-110078
Mobile: 8826007788
Email: rgogia9@gmail.com

निडो होम फाइनर्स लिमिटेड

(पंजीकृत एलएलईडि हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड, कोहिणूर सिटी मॉडल, कोहिणूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ना (हैदराबाद) - 700070

सभीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, टोवर 3, एमि-बी, कोहिणूर सिटी मॉडल, कोहिणूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ना (हैदराबाद) - 700070



निजी ट्रीटी के तहत अचल संपत्ति की बिक्री

प्रचाल्यतः ऋणों की वसुली के लिए सरकारी अधिनियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और उक्त अधिनियम एवं निम्नों के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए कब्जे के अनुसार हमें अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री नोटिस। हमें निजी ट्रीटी के तहत अचल संपत्ति की खरीद हेतु राशि **रु. 12,00,00,00/- (एक करोड़ लाख लाख का)** का ऑफर प्रस्तुत हुआ है। अतः प्राधिकृत अधिकारी की निजी ट्रीटी के तहत यहूनी उल्लिखित प्रचाल्यतः परिसंपत्ति की बिक्री का नियम किया है।

एलएनएफएच सहाय राशन और विशेषकर कल्याण(ओ), सर-कर्जदार(ओ) और जमाना(ओ) को सुनिश्चित किया जाना कि यदि प्रतिनिधि लिए (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 6(5)(डी) व 9 के प्रावधानों पर सरकारी अधिनियम के प्राधान्यों के अनुसार बकाया वसुली की वसुली के लिए निजी होम फाइनर्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती एलएलईडि हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड) (यहाँ आगे कहा गया है) के पक्ष में बंकक ऑटोमैटिकल वसुली करेगी। "जहाँ है और जहाँ है जो है" और "जहाँ बासी नहीं" बताने पर "निजी ट्रीटी" द्वारा बिक्री की जाएगी। आगे हमें प्रत्यक्ष चार्ज उक्त संपत्ति के लिए राशि **रु. 12,00,00,00/- (एक करोड़ लाख लाख का)** से सबकट करके ऑफर देने की अवस्था में। आपके पास इसे प्रकटन की तरफ से 15 दिनों के अंदर अधिकृत अधिकारी को जमा कर देना है। यदि यह बताने अनुसार हमें कोई ऑफर प्राप्त नहीं होता है तो हम सरकारी अधिनियम, 2002 के संबंधित प्राधान्यों के अनुसार निजी ट्रीटी बिक्री के तहत राशि **रु. 12,00,00,00/- (एक करोड़ लाख लाख का)** के उक्त ऑफर प्रत्यक्ष के लिए कार्यान्वही करेंगे।

क्र. सं.	कर्जदार, सर-कर्जदार, संपत्ति के नाम व पते और चार्ज खाता सं.	प्रचाल्यतः परिसंपत्ति का विवरण
1.	1. कलस सिंधु (कर्जदार) 2. मीनाजी सिंधु (सर-कर्जदार) जे.एच. नं. 2429-ए/183, रोड नं. 1 मंजिल, विनार, गणेशपुरा, ऑफर नगर, उत्तर-पश्चिम दिल्ली - 110035	संपत्ति संख्या 382, एक/एक निवा छत अधिकार के, मुख्य सड़क जोर बाग, खरसा संख्या 541/197, नया चौकड़ी मुबारकाबाद विनार, दिल्ली-110035 के समस्त भाग के तहत। उक्त पते की सीमाएँ नोट्स:- उत्तर-पश्चिम (पॉल) का हिरसा, पश्चिम - मुख्य सड़क, पूर्व - मकान संख्या 382-ए, पश्चिम - डॉ. राम किशन का मकान

एलएनएच सं.: LNDNFPH.L000086669

प्राधिकृत अधिकारी की निजी ट्रीटी के तहत राशि **रु. 12,00,00,00/- (एक करोड़ लाख लाख का)** के उक्त ऑफर प्रत्यक्ष के लिए कार्यान्वही करेंगे।

सर्वसाधारण हेतु सूचना

एतद्वारा बाजान हाउसिंग फाइनर्स लिमिटेड की ओर से सूचना दी जाती है कि बाजान हाउसिंग फाइनर्स लिमिटेड के पास संबंध रखी गई संसिपत "द्वितीय तरफ (उत्तरी/बाई तरफ), छत के अधिकांश नली, संसिपत संख्या 25-ए/3 (लॉट नंबर 39, लॉक नंबर 25-ए/1, उत्तरी/बाई तरफ, पार्श्व दबावकी ओर घुसाइवदर लॉक संख्या-25-ए, गली संख्या 15, खसरा नंबर 635 मिन का अंश, पांडव रोड, विश्राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032" के संबंध में श्री पुनीत अरोड़ा और श्रीमती नमिता अरोड़ा द्वारा श्रीमती रश्मि जैन और श्री पासल जैन के पक्ष में निम्नादिष्ट मूल प्रमाणों विषयक विवेक निम्नादिष्ट 03-10-2022, दर्तावाज संख्या 10018 लख गया है। और आसक्तता के साथ खोजबीन के बाद भी खड़ा नहीं जा सका है।

कोई भी व्यक्ति, दस्तावेज या संस्था जिसको उक्त उत्तरावेज मिला हो या उसके कब्जे में हो या उक्त संसिपत, दस्तावेज के संबंध में किसी दावा, अधिकांश, शीर्षक या उक्त का धारक हो, उससे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर मात्रा सह के साथ अधोस्थापारी को सूचित/अधोस्थापारी लिखित करने की मांग की जाती है।

यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का उक्त संसिपत या दस्तावेज के विरुद्ध कोई दावा नहीं है, और बाजान हाउसिंग फाइनर्स लिमिटेड और उससे ग्राहक उक्त संसिपत से निपटने और उसके संबंध में अपने अधिकारों को बिना किसी अन्य संसिपत के आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अधोस्थापारी का सम्पर्क विवरण :

(संपर्क पता) (बाजान हाउसिंग फाइनर्स लिमिटेड हेतु अधिवक्ता)

(ता. : सैक्टर नंबर 122, सिविल विंग, तीस हाजारी कोर्ट, दिल्ली-110054)

(सम्पर्क हेतु नंबर 88024056140 / ईमेल : dassociates67@gmail.com)

प्रश्न सं. ३

[विनियम -13(1)(a) देखें]

**ऋण वसूली अधिकार, चंडीगढ़
(डीआरसी 2)**

अग्रम तह, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तह पर भी अवैधता जतिरीक स्थान)

वार सं./ऑफ/355/2025

अग्रम वसूली न्यायाधिकरण (प्रांशिया) नियमावली,
1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित
अभिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत
लगामन Exh. No. के तबल

**एक्सिस बैंक
नामान**

मेसर्स अंतुल कुमार सक्षम कुमार
इसके प्रोप्राइटार्स द्वारा शी संजय सुख
पुत्र श्री रमेश वंग प्रोप्राइटार्स बंसल
अंतुल कुमार सक्षम कुमार

सेवा है,

(1) गिरीधी संग्रहा - मेसर्स अंतुल कुमार सक्षम कुमार
सहित प्रोप्राइटार्स धारा, फिलिक एचएसबीसी बैंक ऑफ़
इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का चे पास, भर बिहार कोटिंग
उदयपुर जी.टी. रोड, सेक्टर, हरियाणा 121102 (नेशनल
अकाउंट्स AJPB5680BP)

(2) गिरीधी संग्रहा - 2 संग्रम बंसल पुत्री श्री रोलेन
वंग प्रोप्राइटार्स मेसर्स अंतुल कुमार सक्षम कुमार, निवासिता देवी
देवी, बनारस के ब्लूक के पास, रिहा खोलनी, विहाला पल्लव,
हरियाणा - 121102

[illegible]

FINSEV

कॉर्पोरेट कार्यालय: सौरभ आर्टी पांडे टी 2 बिल्डिंग पांचवी मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014

शाखा कार्यालय: चौथी मंजिल, अवधाल मिलिगेम टावर-1, नेताजी सुभाष पैसेल, पौलमपुरा, नई दिल्ली-110034

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कच्चा सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अभिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अधीन (परिशिष्ट-IV)

पू्वी, मेसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अवधालमिलिगेम टावर वित्तीय संस्थायी एवं प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अभिनियम, 2002 के अधीन तथा धारा 13(2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रत्यक्ष अधिकारी के प्रयोग के तहत तथा नीचे उल्लिखित कर्जदार(ए) तथा कर्जदार(II) या को नाम सूचना जारी की गई थी, जिसमें उक्त कर्जदार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लिखित रकम चुकाना करने को कहा गया (कर्जदार(I) तथा कर्जदार(II) या को धारित रकम चुकाना करने में फिलहाल होने के कारण एलएएसएल कर्जदार(I) तथा कर्जदार(II) या) एवं आम उद्यम को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से अवधालमिलिगेम में अधिकृत अभिनियम की धारा 13(4) के साथ प्रतिभूति हित (नियम) के नियम 8-1) के अंतर्गत प्रत्यक्ष अधिकारी के प्रयोग के तहत तथा नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष तौर पर कर्जदार(I) तथा कर्जदार(II) या तथा आम उद्यम को तब सावधान्य को एलएएसएल संपत्ति का रक्षण किया जाता है कि नीचे उल्लिखित कर्जदार संपत्ति के संबंध में कोई भी नतीजा उत्पन्न न करे तथा कर्जदार संपत्ति से संबंधित कोई भी नतीजा यहाँ नीचे उल्लिखित रकम के साथ उद्यम पर नभियत के ब्याज की दरि के लिए बीएचएफएल के प्रथम प्रमार को भियत होगा।

कर्जदार(I) या कर्जदार(II) के नाम (एलएएसएल सं. शाखा का नाम)	अवधालमिलिगेम का भियत	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	कच्चा की तारीख
शाखा: दिल्ली एलएएसएल सं. 0404HL108106 1 R404HL113173 1 मांग करण (कर्जदार) पता यमुनापुर सं. 06 06 वही ओर एलएएसएल पट्टी मंजिल, बिंदारपुर एक्सप्लेन उद्यम नगर, दिल्ली, दिल्ली-110059	नीचे कृतिर कर्जदार सम्पत्ति का समुर्ण एवं सर्वांगीन हिस्सा: नाम भियतपुर कोलोनो भियतपुर एक्सप्लेन के नाम से ज्ञात, कर्जदार(I), उत्तरा नगर, नई दिल्ली-110059 के क्षेत्र में स्थित खसरा सं. 257 में से, कुल सामान्य 200 वर्ग पांचों में से 50 वर्ग पांचों क्षेत्राकरण परियमा की भियत आम सम्पत्ति की, 06-66, पट्टी मंजिल उत्तर ओर अधिकारी के वरु, पट्टी ओर एलएएसएल क्षेत्र में, सी-3 सम्पत्ति में स्टिल्ट में सामान्य पायामा प्रोड में एक दो पहिया महारा पाकिंग की जगह। पू्वी: अवधालमिलिगेम के समनुतात, पधियम: पल्लो सं. 67, उत्तरा नरी, दशियन: अन्य अधिकांश सम्पत्ति के समनुतात।	30 मई, 2025 ए. र. 66,63,63,00/- (षारों अठारस लाख अठारस हजार पांच सौ तीस मात्र)	03/09/2025
2. सोनम सोनम (सह-कर्जदार) पता यमुनापुर सं. 06 06 वही ओर एलएएसएल पट्टी मंजिल, बिंदारपुर एक्सप्लेन उद्यम नगर डी. के. मोहन गार्डन, वेस्ट दिल्ली-110059 खान: दिल्ली दिनांक: 05/09/2025	हस्ता/ अधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड		



फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

702, सतबी मॉडल, यूनिट क्र.एसएमएच, प्लॉट नं. 13-14, राजीव गांधी कॉलोनी,
आमपाली मार्ग, देशवेली नगर, गुजरात-302021, राज

पतिशब्द IV (द्वैत नियम 8 (1) कक्षा सूचना) (अवल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोःस्थापकता फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिपत्र जारी एवं पुरगण और प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्धन नियम, 13 (12) के नियम (3) अधिनियम 2002 एवं संपादित नियमों के नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना दिनांक 13.06.2025 को निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी समीर खान पुत्र जमीन अहमद, जमीन अहमद पुत्र साधुद्वीन, मीरानी मुकताम पति मुताक, मुताक पुत्र कुलवारा, से नोटिस सं वॉर्णित राशि 20,11,655/- (बीस लाख पचास हजार छः शौ पचास रुपये मात्र) कुल देय राशि 09.06.2025 तक ब्याज के साथ को इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधकता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधकता को तथा सामान्यण को एवम् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोःस्थापकता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा संपादित नियमों के अधिनियम, 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन् नीचे वर्णित सम्पत्ति का कक्षा दिनांक **01 सितम्बर वर्ष 2025** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सहऋणी/बंधकता को कि प्रतिभूतधारा और सर्वसाधारण को सामान्यतया एवम् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है कि सम्पत्ति के साथ को ई व्यवहार रूपये 20,95,735/- कुल देय राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल मुगतान होने तक की राशि फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के भोजन के लिये उपलब्ध सभ्य के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के उपधर्को की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्वाधर सम्पत्ति का विवरण

अजल संपत्ति के सभी अभिन्न अंग सित खसरा नं. 537 का भाग, ग्राम रावली, परगना दसना, दोलाना जिला हजूर उत(प्रदेश), कुल क्षेत्रफल 1.00 वर्गगज एवं जमीन की सी सीमर खाल से क्षमालिमें है सीमाएँ: पूर्व: अन्य सम्पत्ति, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण: नदी

दिनांक: 01.09.2025

स्थान: सधुर, ज़ारादर

प्राधिकृत अधिकारी

फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

[illegible]

RMC SWITCHGEARS LIMITED
RMC SWITCHGEARS LTD.
Whiteway Estate, Vaidya, New Way
CIN: L25111RJ1994PLC008698

Registered Office: Khalsa No. 163, 164, Village- Badodiy, Tehsil-Kothakwada, Taluka, 393098 Rajasthan, India. Email- ID: cs@rmcindia.in Website: www.rmcindia.in

**NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING AND
REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the (Thirty First) 31st Annual General Meeting ("AGM") of the members of RMC Switchgears Limited ("the Company") will be held on **Friday, 19th day of September, 2025 at 12:00 PM (IST)** through **video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM")** facility to transact the ordinary and special business as set out in the Notice of 31st AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LORD Regulations") read with General Circular No. 09/2022 dated September 19, 2024 and earlier circulars issued in this regard by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") of the Government of India ("GOI") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFO/ISD-2/P/2019/2024 dated 08/09/2024 and earlier circulars issued in this regard by Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circular") without the physical presence of the Members at a common venue. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum as per Section 103(b) of the Act.

The Notice of 31st AGM along with explanatory statement, Integrated Annual Report for the FY 2024-25 including the Audited Financial Statement for the Financial Year ended on March 31, 2025 have been sent to all the members on Thursday 4th September, 2025 whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company. The e-voting link of the 31st AGM and the Annual Report to the members have been dispensed with through MCA Circulars and SEBI Circulars mentioned above. Further, pursuant to processing the Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 is also dispatched to these shareholders who have not registered their e-mail address.

The 31st AGM through the Notice of the 31st AGM, on the website of the Company at www.rmcindia.in and at the website of Stock Exchange of India (BSE India) Limited ("CDSL") at www.evoting.cdslindia.com and at the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evoting.cdslindia.com.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 19th September, 2025 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 31st AGM through the e-voting system of CDSL and attend the AGM through VC/OAVM. All the members are informed that:

The instructions for joining the 31st AGM through VC/OAVM and the manner of participation in the remote electronic voting and casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of 31st AGM.

The remote e-voting module shall commence on Tuesday, 23rd September, 2025 at 09:00 A.M. and shall end on Tuesday, 23rd September, 2025 at 05:00 P.M (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting. Once the vote on resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it subsequently.

Any person who becomes Member of the company after dispatch of the Notice of 31st AGM by email and holding shares as on cut-off date, may obtain login ID and password by sending a request evoting@cdsl.co.in. However, if already registered e-voting by CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

The members who cast their vote by remote e-voting prior to the 31st AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the AGM.

The members participating in the 31st AGM and who had not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM.

Since AGM will be held through VC there would be no requirement of appointing proxy in accordance with the MCA circular(s). Accordingly, appointment of proxies to the member will not be applicable.

Any query/grievance pertaining to voting by electronic means, the members may contact the RTA of the Company. Questions and remote e-voting user manual for the members are available at www.evotingindia.com under help section or call free toll number 00 201 09911 CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatal Mills Compound, N M Joshi Marg Lower Panel(E) Mumbai-400013 India rpdesk.evoting@cdslindia.com

For RMC Switchgears Limited
Sd/ Shrivani Bairath
Compliance Officer & Company Secretary

Date: 5th September, 2025
Place: Jaipur

 CSL Finance Limited	पंजीकृत कार्यालय : 410-717,18/12, 4था तल, इन्क्यूबेटर ई, अरुण समाज रोड, कोलोन बाग, नई दिल्ली-110005, कॉर्पोरेट कार्यालय : 716-771,7वीं मंजिल, टॉवर बी, कर्नल ईश्वर सिंह रोड, नोएडा, 201301, उ.प्र., दूरभाष : 91 120 4290650/52/53/54/55, ईमेल: info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in, वेब : www.cslfinance.in सीआरडीए : 17.48999D.1992PL.054162	
वित्तीय आँखियों के प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूतिकरण अर्थानियम 2002 ('सर्फेसी अर्थानियम 2002') के प्रवर्तन के अंतर्गत अवल संपत्ति की विवरणें जहाँ सार्वजनिक नीलामी सूचना		
एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार ने (नीचे वर्णित) अवल संपत्ति को सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड ("ऋणदाता") के पास गिरवी रख दिया है, तथा उक्त अवल संपत्ति ("प्रतिभूत आर्थिक/संपत्ति") पर ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सर्फेसी अर्थानियम 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कब्जा कर लिया गया है। प्रतिभूत आर्थिक को ऋणदाता द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से ऋण बकाया गिरा, लाया गया, शुल्क, प्रभार एवं लागत आदि को सूचनी हेतु बोली लगाकर बेचा जाएगा। प्रतिभूत आर्थिक बेची जा रही है और बोली प्रतिभूत वित्त (प्रवर्तन) नियम (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 8 एवं 9 और यहां-नीचे निर्दिष्ट नियमों और एवें पर 'जैसा है जहां है, जो है वही है, जो कुछ भी है वही है और आश्रय रहित आधार पर' आयोजित की जाएगी।		
कर्जदार का नाम	सह-कर्जदारों का पता सहित	दिनांक 10.06.2024 की मौजूदा सूचना के अनुसार देय तिथि:
कर्जदार: स्वामी श्री प्रतीक पांख पता - 282, पोलो ग्राउंड, सेहली नगर, उदयपुर, गरजस्थान-313001 ऋण खाता संख्या: SMEUD0A10005444	सह-कर्जदार 1- श्रीमती सोनाल पांख, सह-कर्जदार 2- श्रीमती कृष्णा पांख, सह-कर्जदार 3- सुशिक्षा प्रदाता- श्री सुरेश चंद पांख, सह-कर्जदार 4- स्वामी श्री प्रतीक पांख (मेसरस सोम्या एंटरप्राइजेज के एकमात्र स्वामी), सह-कर्जदार 5- सोनल पांख (सोनल एंटरप्राइज की एकमात्र स्वामी), सह-कर्जदार 6- श्रीमती कृष्णा पांख (श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज की एकमात्र स्वामी), सह-कर्जदार 7- सुशिक्षा प्रदाता- श्री सुरेश चंद पांख (मल्टीमीडिया गैलरी के एकमात्र स्वामी), सभी का पता: 282, पोलो ग्राउंड, सेहली नगर, उदयपुर, गरजस्थान-313001 सह-कर्जदार 8- निदेशक (सोम्या सोफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड), पता- प्लॉट संख्या 9, 100 फीट रोड, माधव नगर, शोभागपुरा, गरजस्थान-313001	10.06.2024 तक रु. 2,33,86,490/- (रुपय दो करोड़ तैसीस लाख पचासी हजार चार सौ नब्बे मात्र) भावी व्याज, शुल्क, लागत और प्रभार सहित। 31.08.2025 तक कुल बकाया 31.08.2025 तक रु. 2,58,74,850/- (रुपय दो करोड़ अठ्ठवन लाख चौदस हजार आठ सौ पचास मात्र) भावी व्याज, शुल्क, लागत और प्रभार सहित।
सांख्यिक व्याक का नाम	संपत्ति का विवरण	प्रतिभूत परिसंपत्ति की नीलामी का स्थान, तिथि और समय
श्री सुरेश चंद पांख	"आवासोप्य मकान पट्टा संख्या 299, क्षेत्रफल 1782.02 वर्ग फुट, खसरा संख्या 2644, 2625, 2626 के प्लॉट संख्या 8 पर स्थित, राज्य ग्राम देवती (शोभागपुरा), जिला- उदयपुर, गरजस्थान-313001 में स्थित" संपत्ति के क्षेत्रफल तथा सीमाएं:- पश्चिम दिशावेगों के अनुसार: पूर्व- रुड़क 30, चौड़ाई 53'6", पश्चिम- अन्य भूमि 28'6", उत्तर- विद्या भवन, दक्षिण- प्लॉट संख्या 09, 42'6" दक्षिण/दक्षिण-की न्यूनांकन रिपोर्ट के अनुसार: पूर्व- रुड़क 30, चौड़ाई 53'6", पश्चिम- मोरेश जी की संपत्ति 28'6", उत्तर- विद्या भवन, रुड़क 50'6", दक्षिण- प्लॉट संख्या 09, 42'6"	स्थान: 22 सितंबर 2025 समय: 11:00 बजे पूर्वाह्न. स्थान: सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड - कार्यालय संख्या 205, हिंदीत तल, आर्किटेक्ट टावर, मधुनगर, उदयपुर - गरजस्थान - 313001 आरंभित मूल्य: रु. 1,14,00,000/- ईंग्रैडि: आरंभित मूल्य का न्यूनतम 15% अर्जन रु. 17,10,00,000/-
केआईटी रजिस्ट्रेशन नं.सं.सं. के माध्यम से सार्वजनिक रूप से निगम अर्थानियम का जमा करने की अंतिम तिथि और समय:		


SALASAR
 Building a stronger future

सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड

(सीआरएन : L23201UP2001PLC209751)

पंजीकृत कार्यालय : खसरा सं. 285, 281-288, ग्राम परसी-नरसरा, पी. ओ.- निंदेल नगर, जयपुर हाइड्रो- 201015 (उ.प्र.). दूरभाष : 0120-6546670; ईमेल आईडी : compliance@salasartechno.com, वेबसाइट : www.salasartechno.com

24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

यह सूचना 2 सितंबर 2025 को दिए गए हमारे पूर्व सूचार के क्रम में है, जिसके द्वारा सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी ('सेबी') सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आदेशव्यक्तों) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में, सामान्य परिचय पत्रिका संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020; संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020; संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020; संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून 2020; संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020; संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020; संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून 2021; संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2021; संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021; संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई 2022; संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022; संख्या 9/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023; तथा संख्या 9/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 ('मसौदा परिचय') तथा भारतीय प्रभुत्वित एवं विनियम यों द्वारा जारी परिचय संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, परिचय संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 ('सेबी परिचय') के साथ, के अनुसार, कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार 27 सितंबर 2025 को पृथिवी 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') सुविधा के माध्यम से, सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर मौलिक उपस्थिति के बिना, 24वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितनुसार व्यवसायों का संचालन करने के लिये आयोजित की जाएगी।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, ई-वोटिंग सहित वित्तीय सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण सहित, उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से 04 सितंबर 2025 को भेजने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके ई-मेल पते रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या उनके संबंधित डिजिटल/डिजिटल प्रमाणियों के पास उपयुक्त एमएसईए परिसरों तथा सेबी परिसरों के अनुसार पंजीकृत थे, साथ ही ये कंपनी की वेबसाइट www.salasartechno.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बिगशेयर) की वेबसाइट <https://vote.bigshareonline.com> पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड / इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन शेयरधारकों को भी भेजी जाएगी जो हमें compliance@salasartechno.com पर इसके लिए अनुचित लिखक भेजते हैं।

सेबी ('सेबी') सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आदेशव्यक्तों) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, वेब की एक को उपलब्ध करते हुए, जिसमें सटीक थप भी शामिल है, जहां वार्षिक रिपोर्ट को पूरा विवरण उपलब्ध है, धारक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने कंपनी या कंपनी के किसी डिजिटल/डिजिटल या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपना ईमेल पता(ए) पंजीकृत नहीं करवाया/कराये हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी संचयीय मानक-2 तथा एमसीए परिसरों के अनुपालन में, सदस्यों को बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बिगशेयर) द्वारा प्रदान की जाने वाली रिपोर्ट ई-वोटिंग (वार्षिक आम बैठक से पहले) तथा ई-वोटिंग (वार्षिक आम बैठक के दौरान) सुविधाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से 24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उन निर्देशों का उपलब्ध है जिससे शेयरधारक रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से या वार्षिक आम बैठक के समय ई-वोटिंग करके अपना वोट डाल सकते हैं तथा वार्षिक आम बैठक से वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं। कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितंबर 2025, ('कट-ऑफ तिथि') को मौलिक रूप में या अमौलिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण बिगशेयर की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणालियों के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

- 24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए कार्यों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाएगा;
- रिमोट ई-वोटिंग 24 सितंबर 2025 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर आरंभ होगी;
- रिमोट ई-वोटिंग 26 सितंबर 2025 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी;
- कंपनी की 24वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान करने की प्राप्ता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 20 सितंबर 2025 है तथा जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल सूचना के प्रयोजन के लिए मान सकता है। वह यह व्यक्ति, जो 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना नेमत के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है, शेयर प्राप्त करता है तथा वोट देने के लिए पात्र है, वह एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाते की प्रक्रिया का पालन कर सकता है या हमें vote@bigshareonline.co पर एक ईमेल लिख सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीएलएलएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए उपलब्ध यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि: (क) मतदान के लिए निर्धारित उपरोक्त तिथि तथा समय के बाद बिगशेयर द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को मतदान में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी; (ख) जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा; (ग) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा वोटों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा (घ) केवल वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार में है या बिगशेयर द्वारा अनुसूचित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्ट्रार में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, उसे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वोटिंग के साथ-साथ रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार होगा।
- कंपनी द्वारा शारीरिक दौड़ा, कार्यरत सदस्यी सचिव (सीसी) संख्या 14808) को अधिनियम एवं नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली के अंतर्गत 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने हेतु सवीक्षक नियुक्त किया गया है।
- सवीक्षक 24वीं वार्षिक आम बैठक में मतदान की समाप्ति के बाद, लेकिन एजीएम की समाप्ति के 2 (दो) कार्यदिवसों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; तथा बैठक के अख्यय या इस हेतु अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, सवीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही, 24वीं वार्षिक आम बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा। सवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.salasartechno.com पर प्रकाशित किए जाएंगे तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) को भी संप्रतिष्ठित किए जाएंगे।
- वार्षिक आम बैठक (एजीएम) / ई-वोटिंग इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रश्न / समस्या की स्थिति में, सदस्य <https://vote.bigshareonline.com> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रार: पृष्ठ जानकारी प्राप्त (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर : 1800 22 54 22 पर संपर्क कर सकते हैं।

बीई के आदेशानुसार
कृते सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता /
मोहित कुमार गोवाल
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

स्थान : नोएडा

दिनांक : 4 सितंबर, 2025

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends,
market movers, and sharp insights —
every day with **The Compass** in
Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to
57575 or email **order@bsmail.in**

Business Standard

Insight Out

सार्वजनिक नीतामी की निवय एवं शर्तें निम्नानुसार है:

1. सार्वजनिक नीतामी "जैसा है वहाई हो, जो बेहरी है, जो कुछ भी है वही है और आश्रय रहित आधार पर" आयोजित करने का रही है। और सीएसएल फाइनर निर्देशों को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणधारों के साथ बेहती जा रही है। बोली प्रपत्र, घोषणा, सामान्य सार्वजनिक नीतामी के नियम और शर्तें सीएसएल फाइनर निर्देशों के कार्यालय संख्या 250 दृष्टिगत तहत आकांक्षित द्वारा मधुवन उदयपुर-नुवाकरना-313001 से प्राप्त की जा सकती है। 2. प्रतिभूत संपत्ति आश्रित भूमिका से नीचे नहीं बेची जाएगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी की अपनी जानकारी और सूचना के अनुसार, संगठनों पर कोई ऋणधार नहीं है। हालाँकि, यह आवश्यक है कि इच्छुक बोलोदाताओं को सविनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामिय, सीमा,माण पत्र किसी भी दावे, शुल्क, बकाया, ऋणधार के संबंध में अपनी स्वंतर पुनरांक बिली चार्जिर और इसके बारे में सुंदुर होना चाहिए। संपत्ति में किसी भी विस्मरण के लिए भाग लेने वाला बोलोदाता बोलो जमा करने के लिये से नाथिय के सभी समायों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। 4. बिक्की प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोल के अनिवार है। कहे करजदार/गारंटर बिक्की को पहले संपूर्ण बकाया का गमान कर देला है, तो कोई बिक्की नहीं ले जाएगा। 5. बोलो जमा करने के बाद बिक्की के लिए रब्दी गई संपत्ति, संपत्ति पर शुल्क/ऋणधार या किसी अन्य मामले अदि के संबंध में किसी भी प्रतिक्रिा को कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6. प्राधिकृत अधिकारी/आधिकारी बिक्की के तहत संपत्ति के संबंध में किसी भी शुल्क, प्रमाणनिष्ठा, ऋणधार, संपत्ति कर बकाया, बिजली अदि या सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 7. सार्वजनिक नीतामी सूचना/विषयपर सीएसएल फाइनर निर्देशों के किसी प्रस्ताव, प्रत्युद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी/सीएसएल फाइनर की तृतीय पक्ष के दावे/आश्वासन/गमान के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। 8. बिक्की सरफेसी अधिनियम 2002 और अन्वय नियमों के तहत निर्धारित निमित्तों के अधीन होगी। 9. यह बोलोदाताओं का उत्तरदायित्व होगा कि वे बोलो जमा करने से पहले (क) स्वामित्व और बिलि दस्तावेजों और (ख) संपत्ति का निरीक्षण करें और प्रतिभूत संपत्ति निरीक्षण के बारे में खुद को सुंदुर करें। निरीक्षण के लिए परिहार में प्रवेश करने से पहले, यह आवश्यक है कि इच्छुक बोलोदाता अपने हस्तक्षार के तहत संपत्ति में प्रवेश और नििकास को पूर्णिक करने वाले रिस्कर में अपनी धनिय, पत्ता और संसंक विवरण प्रदान करंगे। 10. इच्छुक बोलोदाताओं को ईमुपट्टी के साथ अपनी बोलिंगों पत्र किसी हौणी, जो ऊपर उल्लिखित अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले सीएसएल फाइनर निर्देशों के रूप में योग्धा में देय डीडी/आईटीजीएम/परर्सएमडी के माध्यम से ही देये हौंगे। 11. बोलोदाता इन दस्तावेजों के साथ एक सोलैबल लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुती की जाती चाहिए, जिसमें "खरीदे के लिए प्रस्ताव - श्री सुशील चंद्र पवारचौड, लैन: SMEUD-A100055444 लिखा हो और बोलोदाता जमा करने की अंतिम तिथि को या उसके पहले प्रचित्तु अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए। 12. बोलोदाता को बोलो जमा करने समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने हैं: 1). भुगतान को गई ईमुपट्टी का प्रमाण। 2). पेन कांको के प्रतिलिपि। 3). धनपत्र का प्रमाण। पता/माण/अधार कार्ड/केवाईसी (स्वंय प्रमाण) प्रतियाँ, जिसके निमा बोलो अस्वीकार कर दी जाएगी। 4). केवल बोलोदाता ही सार्वजनिक नीतामी कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे और किसी अन्य व्यक्तिक को अनुमति नहीं है। 5). सरल बोलोदाताओं को प्रस्तावों की स्वीकृति और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरल बोलोदाता को शेकान के तुरुंत बाद खरीद रिश का 25% (पंचशत) से भुगतान को गई ईमुपट्टी को समायोजित करने के बाद) जमा करना होगा, अन्यथा भुगतान को गई ईमुपट्टी जब्त कर ली जाएगी और बोलोदाता द्वारा सीएसएल फाइनर निर्देशों से दवान नहीं किया जा सकेगा। 15. खरीद रिश का शेक 75% सरल बोलोदाता को 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा, जिसमें लिफल होने पर बोलोदाता द्वारा पहले से जमा की गई रिश निमा किसी पूर्व सूचना के स्वन: जन्त कर दी जाएगी और रिश के किसी भी अनुरोध पर बिचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, संपत्ति को दुगरा नीतामी में रख़ा जाएगा और चुककती बोलोदाता के पास संपत्ति/रिश के संबंध में कोई दाल/अधिकार, यद्य कोई हो, नहीं माना जाएगा और तो यह पूरा: नीतामी में रख़ा जाने से लिए यह बोलोदाता 16. प्रतिभूत भारती को बिक्की के संबंध में ईमुपट्टी या बोलोदाताओं/सरल बोलोदाताओं द्वारा जमा की गई किसी भी राशि पर कोई ब्याज देन नहीं है। 17. क्रेत-सांख्यिकीय (क) लागू स्टापी, स्ट्रेटिजी/बीजकण शुल्क/इंसुरण शुल्क वहन करना होगा, (ख) किसी भी व्यक्ति, स्पेश या प्राधिकरण के सेवा के सांख्यिकी, कै-धोनिक, रूपान्तरण, रियाज़, दोहरा निमा, बुझक, उपकरण, शुल्क, दर, अंभिधिधारण शुल्क अदि केवल सरल बोलोदाता द्वारा वहन किया जाएगा। 18. बिक्की प्रमाणपत्र केवल सरल बोलोदाता के रूप में निर्धारित शासन में जारी किया जाएगा। 19. सरल बोलोदाताओं को प्रयोग्य स्ट्याप और पंजीकरण अधिनियम के प्राधान्यों के अनुसार पंजीकरण शुल्क अदि को व्यवस्था और बिक्की प्रमाण पत्र को लगाना की व्यवस्था करनी होगी। सरल बोलोदाता को कन्वीसर शुल्क, पंजीकरण शुल्क, स्ट्याप शुल्क, कर शुल्क अदि, जैसा भी लागू हो, वहन करना होगा। 20. किसी भी ऋणधार के अर्थन संपत्ति बिक्की के मामलों में, सरल बोलोदाता/खरीदर को ब्याज, लागत, व्यय अदि सहित ऋणधार का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनप्राप्ति प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी। 21. यह सार्वजनिक नीतामी रोक दी जाती है, अगररुद्ध देन देती है, स्थगित कर दी जाती है या पुनर्विनीयता के र कर दी जाती है, तो सीएसएल शाखा के नीरिसर बोर्ड पर एक सार्वजनिक सूचना लगी दी जाएगी और इस सूचना में किसी भी बोलोदाता को कोई व्यक्तित्व/प्रतिकार संधार नहीं भेजा जाएगा। 22. बोलोदाताओं द्वारा बोलो जमा करने का अर्थ यह माना जाएगा कि उन्होंने सार्वजनिक नीतामी को निमित्त करके दाने लियोगें और शांति को पड़, समझ लिये हैं और स्वीकार कर लिया है। 23. असरल बोलोदाताओं को ईमुपट्टी नीतामी कर्नायवी सद होले पर वापस कर दी जाएगी। 24. प्राधिकृत अधिकारी उत्तमत प्रत्यावलोको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए सार्वजनिक नीतामी को स्थगित/आयोजना/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। 25. अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 97738956803.

दिनांक: 04.09.2025

स्थान: उदयपुर (राजस्थान)

हस्ता.. / प्राधिकृत अधिकारी
सीएसएल फाइनर निर्देशों
